

सेवा में,

समस्त जिला परियोजना अधिकारी,  
सर्व शिक्षा अभियान,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक: — रा.प.का./2017/पैडा0 (1)/LEP/2014-15 दिनांक 30 जनवरी, 2015

**विषय:—** प्राथमिक विद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षाओं (कक्षा 1 एवं 2) में शुरूआती भाषा (पठन तथा लेखन) (Early Grade Reading & Writing) तथा शुरूआती गणित (Early Mathematics) की दक्षताओं को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये 'पढ़े भारत बढ़े भारत' कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य द्वारा वर्ष 2013-14 में कक्षा 3 के बच्चों का हिन्दी भाषा तथा गणित में राज्य स्तरीय अधिगम उपलब्धि सर्वेक्षण (SLAS), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के माध्यम से सम्पन्न करवाया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा भी राष्ट्रीय स्तर पर अधिगम उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) सम्पन्न करवाया गया है। प्रथम एजुकेशन फाउण्डेशन द्वारा प्रति वर्ष ASER सम्पन्न करवाया जाता है। इन सभी अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि बड़ी कक्षाओं में पढ़ने के बावजूद बच्चे कक्षा 1 तथा 2 के स्तर की दक्षताओं (पठन, लेखन तथा शुरूआती गणित) को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जिसके कारण आगे की कक्षाओं में कक्षानुसार दक्षतायें प्राप्त करने में बच्चों को कठिनाई हो रही है इसका सीधा असर उनकी शैक्षिक उपलब्धि स्तर पर पड़ रहा है।

इसी उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा भी 'पढ़े भारत बढ़े भारत' कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। बच्चों द्वारा शुरूआती भाषा (पठन एवं लेखन) तथा शुरूआती गणित की दक्षता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं—

1. प्रतिदिन 4:30 निर्दिष्ट घण्टों (Instructional hours) में से 2:30 घण्टे पढ़ने-लिखने एवं 1:30 घण्टे शुरूआती गणित हेतु अवश्य दिये जायें।
2. बच्चों में पठन-पाठन की आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए रीडिंग कॉर्नर (Reading Corner) की व्यवस्था की जाय। इस रीडिंग कॉर्नर में बाल पत्रिकायें, कक्षावार पठन श्रृंखलाओं की पुस्तकें, पोस्टर, कहानियाँ, स्थानीय गीत आदि से सम्बन्धित पुस्तकें रखी जायें। जिससे बच्चों में पठन कौशलों को विकसित किया जा सके।
3. Reading Corner/पुस्तकालय बच्चों की पहुँच में होना चाहिए ताकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार बच्चे आसानी से प्रतिदिन इसका उपयोग कर सकें।
4. Reading Corner/पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग बच्चे विद्यालय में भी कर सकें तथा पढ़ने के लिए घर भी ले जा सकें।
5. बच्चों को पठन हेतु घर के लिए जारी की गई पुस्तकों का रिकार्ड रखा जाय।
6. उपलब्ध अध्यापकों में से एक अध्यापक (प्राथमिकता के आधार पर कक्षा 1 एवं 2 के पढ़ाने वाला अध्यापक) को पुस्तकालय प्रभारी बनाया जाय।

क्रमशः

7. बच्चों को एक दूसरे से वार्तालाप एवं पढ़ी गयी पुस्तकों पर एक दूसरे से चर्चा करने और लिखने का पर्याप्त अवसर दिया जाये।
8. बच्चों को हाव-भाव के साथ सस्वर पठन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जाये।
9. कक्षा की दीवारों को Print-rich वातावरण प्रदान कर दीवारों पर चित्र, गणितीय आकृतियाँ, बच्चों द्वारा स्वयं तैयार किये गये चार्ट, उपस्थिति चार्ट, बच्चों को दिये गये दायित्व चार्ट, मिड डे मील चार्ट, बच्चों की जन्म तिथि चार्ट, कहानी एवं कविताओं के चार्ट इत्यादि प्रदर्शित किये जाय।
10. बच्चों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने तथा प्रारम्भिक गणितीय संक्रियाओं हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाये।
11. प्रार्थना सभा में बच्चों को 'आज की बात' / आज का विचार आदि प्रस्तुत करने / पढ़ने आदि का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाये।
12. विद्यालय अनुश्रवण के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का भी अवश्य अनुश्रवण किया जाय।  
कृपया तदनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(डी. सेन्थिल पाण्डयन)  
महानिदेशक-विद्यालयी शिक्षा  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ०सं०:- रा०प०का०/२०११ /पैडागॉजी (1)/LEP/2014-15 तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(डी. सेन्थिल पाण्डयन)  
महानिदेशक-विद्यालयी शिक्षा  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

01C